न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 107/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
देवीसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बाला तहसील पाली		सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री कमलेश चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से उप०

–: निर्णय :–

दिनांकः– 7/12/17

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 339/2016 में तहसीलदार पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 56/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का बाला की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार पाली द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम बाला के खसरा नम्बर 211 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी सोयम की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया, किन्तु कोई नोटिस जारी नही किया। कैम्प के दिवस अपीलाण्ट से समस्त कागजों पर हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान करवाये गये। न तो अपीलाण्ट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया तथा न ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने का। पटवारी हल्का ने अपने बयानों मे जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया, उन्हे प्रदर्शित भी नही किया जिसके कारण उक्त बयानों को साक्ष्य के रूप में पढा नही जा सकता है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जुर्माना आरोपित किया एवं आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया। वादस्थ भूमि किसी भी रूप में प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार नही होती है। अपीलाण्ट गरीब व्यक्ति है तथा प्रकरण में राज्य सरकार की मंशा अनुसार नियमितिकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी, जो न की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई साक्ष्यों का परीक्षण किये जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट पर जुर्माना आरोपित करते हुए आदेश बेदखली एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया है, जो विधि सम्मत नही है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बाला के खसरा नम्बर 211 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी सोयम की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट्स के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व

अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट्स के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम बाला के खसरा नम्बर 211 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी सोयम की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का बाला द्वारा तहसीलदार पाली के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि देवीसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह राजपूत द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा कर काश्त किया है, इस पर तहसीलदार पाली द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 25.10.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट के पिता नरेन्द्रसिंह से तामील करवाया गया, जो अपीलाण्ट्स के परिवार के व्यस्क सदस्य होने के कारण सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट दिनांक 20.12.2015 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें अंकित तथ्यों अनुसार इस दिनांक को प्रकरण में वादस्थ भूमि से अतिक्रमी देवीसिंह का कब्जा हटाया जाकर भूमि को कब्जे राज लिया गया है। उक्त कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट पर अपीलाण्ट तथा बतौर गवाह अपीलाण्ट के पिता के हस्ताक्षर है, जिसे किसी भी रूप में नकारा नही है। जहां तक आवंटन/नियमन का प्रश्न है, तो इस हेतु नियमों में पृथक से प्रावधान उपलब्ध है, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई प्रार्थना की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न है तथा न ही इस अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 339/2016 में तहसीलदार पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 56/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7/12/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली